अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

(सुरक्षा विभाग)

दिनांक:- 01/04/2024

एड्वाईजरी: एलपीजी सिलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध।

1. अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 19 मार्च 2024 को आयोजित संस्थागत अग्नि सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक के संदर्भ में। संस्थान तथा सभी बाह्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यान्वयन हेतु दिनांक 03/10/2023, क्रमांक 36/अग्नि सुरक्षा/अस्पताल/2023 द्वारा सभी सबद्ध को इस मुद्दे के विषय में सूचित किया गया था; हालांकि, एम्स तथा सभी बाह्य केंद्रों में विभिन्न स्थानों पर अभी भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जो रोगियों, उनके परिचरों तथा कर्मचारियों के लिए खतरनाक है। दिनांक 30/01/2023 तथा तत्पश्चात् दिनांक 23/09/2023 को आयोजित संस्थागत अग्नि सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक के अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्नि सुरक्षा की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया था।
2. तदनुसार, सभी केंद्रों/ब्लॉकों के प्रमुखगण, विभागाध्यक्षगण, चिकित्सा अधीक्षक एवं अस्पताल अधीक्षकों से पुन: अनुरोध किया जाता है कि वे संस्थागत अग्नि सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में तय किए गए अग्नि सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करें तथा सभी से निवेदन है कि कृपया 15 अप्रैल 2024 तक निदेशक, एम्स को जानकारी प्रदान करने हेतु यह पुष्टि करें अथवा वचन बद्धता दें कि उनके नियंत्रणाधीन संबंधित क्षेत्र में **एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जा रहा है**।
3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि **एलपीजी के स्थान पर पीएनजी, सोलर इंडक्शन प्लेट इत्यादि जैसे वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दें।**
4. यदि आग लगने संबंधी कोई घटना घटित होती है तो संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इसे निदेशक, एम्स, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त है।

कर्नल दिग्विजय सिंह
मुख्य सुरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, एम्स
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण

5. छात्रावास अधीक्षक
6. अधीक्षण अभियंता, एम्स

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029

(Security Department)

DATED:-01/04/2024

ADVISORY: BAN ON USE OF LPG CYLINDERS

1. Refer meeting of the Institutional Fire Safety Advisory Committee held on 19th March 2024 under the chairmanship of Additional Director (Admin), AIIMS, New Delhi. In order to implement fire safety in the institute & all outer centres, the issue was communicated to all concerned vide No 36/Fire Safety/Hosp./2023, dated 03/10/2023; however LPG cylinders are still being used in various locations at AIIMS & all outer centres, which is dangerous for patients, their attendants and staff. The seriousness of the fire safety was highlighted by the Chairperson of Institutional Fire Safety Advisory Committee in the meeting held on 30/01/2023 & again reiterated on 23/09/2023.
2. Accordingly, all Chief of Centres/Blocks, Head of Departments, Medical Superintendent & Hospital Superintendents are once again requested to implement the Fire Safety guidelines decided in the meeting of Institutional Fire Safety Advisory Committee. And all are requested to give a confirmation/undertaking that "**No LPG Cylinders**" are being used in their respective area of responsibility for information to Director AIIMS, by 15th April 2024, please.
3. You are requested to **encourage alternate sources like PNG, Solar, Induction plate etc. in place of LPG.**
4. In case of any fire incident takes place then concerned Department will be held accountable.

This has the approval of the Director, AIIMS, New Delhi

Col. Digvijay Singh
Chief Security Officer

Copy to: - 1. Director, AIIMS
2. Additional Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs of all centres
5. Hostel Superintendent
6. S.E, AIIMS

Security Section